न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 113/2023 (2023/206)

अनवान

1. माणक लाल पोखरना पिता नाथु लाल पोखरना नि.मकान नं. 5 महेश नगर चित्तौडगढ तह. व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कैलाशी बाई पत्नी मुलचंद धाकड नि.भैरूसिंह का खेडा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. बबुल पिता मुलचंद धाकड नि.भैरूसिंह का खेडा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. लाली पुत्री मुलचंद धाकड नि.भैरूसिंह का खेडा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपाल नगर जरिये मैनेजर साहब, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपाल नगर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री बसन्ती लाल मेहता अधिवक्ता वादी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौडगढ

निर्णय दिनांक 30.03.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ढाढण पटवार हल्का नेतावलगढ पाछली तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ में स्थित वर्तमान आराजी नम्बर 443 रकबा 0.60 हे. कृषि भूमि स्थित है। जो रेवेन्यू रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता मुलचंद जी के खातेदारी कब्जे काश्त की थी। खातेदार मुलचंद ने उक्त आराजीयात के उत्तरी दिशा की 0.13 हे. कृषि भूमि मुझ वादी के आराजी नं 442 से लगी हुई है को मृतक खातेदार मुलचंद पिता नारायण धाकड ने मुझ वादी को दिनांक 12.01.2017

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

को 1,00,000 रूप्ये अक्षरे एक लाख रूप्ये मे विक्रय पत्र लिखा पंजीयन करा दिया व आराजी नम्बर 443 का उत्तरी तरफ का 0.13 हे. भूमि भू–भाग पर मुझ वादी का कब्जा करा दिया तब से आज तक मुझ वादी उक्त आराजी कब्जे में है। खातेदार मुलचंद का देहान्त हो गया व विरासत से उक्त आराजी नम्बर 443 वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का नाम दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादीगण , वादी को विक्रय किये गये हिस्से को पुनः विक्रय करने पर आमादा है। वाद कारण दिनांक 12.01.2017 से लगातार जारी है। अन्तिम बार दिनांक 09.12.2022 को आग्रह किया किन्तु कोई सतोंषप्रद जवाब न देने से एंव मौके कब्जे काश्त में दखल डालने व विवाद करने पैदा होकर निरन्तर जारी है। अन्त मे वादी के खाते में ग्राम ढाढण तहसील बस्सी मे आराजी नम्बर 443 मे से 0.13 हे. भूमि उत्तरी दिशा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एंव विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया । दौराने सुनवाई अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। दिनांक 19.03.2026 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एंव प्रतिवादी संख्या 04 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही करने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 माणकलाल का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 विक्रय पत्र जो वादी माणकलाल के पक्ष मे निष्पादित करवाया एंव उसकी फोटो प्रति प्रदर्श–1 ए , प्रदर्श–2 इन्तकाल मूलचन्द की विरासत का , प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 81 खाता संख्या 180 , प्रदर्श–4 नकल नक्शा ट्रेस , प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 81 खाता संख्या 256 , प्रदर्श–6 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्शित करवाए ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(दीपू स्वल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नियत दिनांक को पत्रावली बहस हेतू न्यायालय के समक्ष पेश हुई । बहस प्रकरण अधिवक्ता वादी की सुनी गई । अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए ग्राम ढाढण पटवार हल्का नेतावलगढ पाछली तहसील बस्सी के आराजी संख्या 443 रकबा 0.60 हे. मे से 0.13 हे. उत्तरी दिशा मे वादी की खरीदशुदा भूमि होने से वादी के नाम घोषणा किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादी की बहस पर चिन्तन व मनन किया । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–1A विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2017 के अवलोकन से विदित हुआ है कि प्रतिवादीगण के पति एंव पिता मुलचंद धाकड द्वारा वादी माणकलाल के पक्ष मे दिनांक 12.01.2017 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाया उक्त विक्रय पत्र मे वर्णित तथ्यो से भलीभाति स्पष्ट है कि मुलचंद पिता नाराण धाकड नि.भैरूसिंह जी का खेडा ने ग्राम ढाढण की आराजी नं 443 रकबा 0.60 हे. मे से उत्तर दिशा की 0.13 है. भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2017 के माध्यम से वादी माणकलाल पोखरना को विक्रय किया गया होना जाहिर आया है। प्रदर्श–2 इन्तकाल संख्या 1098 दिनांक 05.11.2017 से मूलचंद की विरासत से ग्राम ढाढण पटवार हल्का नेतावलगढ पाछली की आराजी संख्या 443 रकबा 0.60 हे. मे मूलचन्द पिता नाराण धाकड के बजाए बबलू,लाली पिता मूलचन्द कैलाशीबाई पत्नी स्व.मूलचन्द धाकड के नाम दर्ज रेकार्ड होने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी ग्राम ढाढण सम्वत् 2078 से 2081 खाता संख्या 180 विरासत के उपरान्त वाद ग्रस्त आराजीयात 443 रकबा 0.60 हे. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज रेकार्ड होना बतलाती है। प्रदर्श–4 नकल नक्शा ट्रेस आराजी नं 443 का है। उपरोक्त विवेचना से यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि मूलचंद धाकड ने ग्राम ढाढण की आराजी संख्या 443 रकबा 0.60 हे. मे से 0.13 हे. भूमि उत्तरी दिशा मे जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वादी माणकलाल को विक्रय की है। वादग्रस्त आराजीयात विक्रय के उपरान्त मुलचन्द धाकड की मृत्यु हो जाने से जरिए विरासतीय इन्तकाल से वादग्रस्त आराजीयात मुलचन्द के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड होने की पुष्टि प्रदर्श–2 से होती है। ऐसी सूरत मे वादी माणकलाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि को अपने नाम घोषित करवाने का विधिक अधिकारी पाया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जाता है। जिससे वादी का वाद पत्र दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित पाया जाने की पुष्टि होती है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादीगण की मौन सहमति प्रकट होती है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ढाढण पटवार हल्का नेतावलगढ पाछली तहसील बस्सी के आराजी संख्या 443 रकबा 0.60 हे. मे से उत्तरी दिशा की 0.13 हे. भूमि वादी **(माणक लाल पिता नाथुलाल पोखरना)** के नाम घोषित किया जाता है। वादी के घोषित हक हिस्से को छोडकर , शेष भूमि पर बैंक ऋण यथावत रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के घोषित हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. माणक लाल पोखरना पिता नाथु लाल पोखरना नि.मकान नं. 5 महेश नगर चित्तौडगढ तह. व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कैलाशी बाई पत्नी मुलचंद धाकड नि.भैरूसिंह का खेडा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. बबुल पिता मुलचंद धाकड नि.भैरूसिंह का खेडा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. लाली पुत्री मुलचंद धाकड नि.भैरूसिंह का खेडा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपाल नगर जरिये मैनेजर साहब, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपाल नगर तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 113/2023

वादी की ओर से अधिवक्ता बसन्ती लाल मेहता की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ढाढण पटवार हल्का नेतावलगढ पाछली तहसील बस्सी के आराजी संख्या 443 रकबा 0.60 हे. मे से उत्तरी दिशा की 0.13 हे. भूमि वादी (माणक लाल पिता नाथुलाल पोखरना) के नाम घोषित किया जाता है। वादी के घोषित हक हिस्से को छोडकर , शेष भूमि पर बैंक ऋण यथावत रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के घोषित हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे।

यह आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner